मूल हिन्दी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 1039
08 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

स्लम मुक्त बनाने की योजना

1039. **श्री गोपाल शेट्टी:**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सिंगापुर और अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी सहित पूरे विश्व के सभी विकसित देश स्वतंत्रता पूर्व एक समय स्लम बस्ती बहुल देश थे और स्वतंत्रता के बाद वे स्लम बस्तियों से मुक्त हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर महानगरों, विशेषकर मुंबई, जहां 50 प्रतिशत लोग स्लम बस्तियों में अभी भी दयनीय जीवन जी रहे हैं, को स्लम मुक्त बनाने के लिए कोई योजना बनायी है या बनाने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>
<u>आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री</u>
(श्री कौशल किशोर)

(क) से (घ) : 'भूमि' और 'कालोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में आवास और स्लम पुनर्वास/पुनर्विकास से संबंधित योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं। हालाँकि, भारत सरकार कस्बों/महानगरों और मुंबई के स्लमवासियों सहित देश भर के सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास प्रदान करने के लिए केंद्रीय सहायता दे कर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा करने में सहायता कर रही है। यह योजना चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से क्रियान्वित

की जाती है। 29.01.2024 की स्थिति के अनुसार, पीएमएवाई-यू के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर मंत्रालय द्वारा 118.63 लाख आवासों को मंजूरी दी गई है जिनमें से 114.01 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और 80.02 लाख आवासों को पूरा कर लिया गया है/लाभार्थियों को सुपुर्द किया जा चुका है। स्वीकृत किए गए आवासों में से कुल 31.11 लाख लाभार्थी स्लमवासी हैं। इसके अलावा, योजना का आईएसएसआर घटक, भूमि को संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए, विशेष रूप से स्लम पुनर्विकास से संबंधित है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं प्रस्तावों के आधार पर, इस घटक के तहत प्रति आवास 1 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 29.01.2024 की स्थिति के अनुसार, आईएसएसआर के तहत 2.96 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 2.26 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और 1.56 लाख आवास पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं।

*****